न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, धोरीमना जिला बाड़मेर राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या :– 114/2019

प्रार्थी

1. बीरबलराम पुत्र कालूराम जाति विश्नोई निवासी लुम्बाणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र नेड़ीनाड़ी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सदराम पुत्र जगराम
2. राजूराम पुत्र लाधूराम
3. रामरख पुत्र लाधूराम
4. सुरताराम पुत्र भगाराम
5. साजनराम पुत्र भगाराम
6. प्रभूलाल पुत्र रामचन्द
7. गंगादेवी पत्नी मोहनलाल जाति विश्नोई निवासी लुम्बाणियों की ढाणी, नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
8. अशोककुमार पुत्र केशरीमल जाति विश्नोई निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान।
9. मां वांकल मालाणी शिक्षण संस्थान धोरीमन्ना जरिये सचिव व अध्यक्ष
10. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा धोरीमन्ना।
11. शाखा प्रबंधक बा. सं. भू. नि. बैंक शाखा धोरीमन्ना
12. ग्राम पंचायत नेड़ीनाडी जरिये ग्रामसेवक व सरपंच
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान।
14. तुलछाराम पुत्र रूघाराम फौत के कायम मुकाम

14/1. भाखराराम पुत्र तुलछाराम (विप्रार्थी 15 के रूप में रेकर्ड में पूर्व से)
14/2. पूनमाराम पुत्र तुलछाराम
14/3. रामचन्द्र पुत्र तुलछाराम
14/4. सोनाराम पुत्र तुलछाराम
14/5. धर्माराम पुत्र तुलछाराम फौत के कायम मुकाम
14/5/1. श्रीराम पुत्र धर्माराम
14/5/2. राजुराम पुत्र धर्माराम
14/5/3. हीराराम पुत्र धर्माराम
14/6. हीरां पुत्री तुलछाराम
14/7. शान्ति पुत्री तुलछाराम
14/8. सिणगारी पुत्री तुलछाराम
14/9. जीया पुत्री तुलछाराम
जाति विश्नोई निवासी नेड़ीनाड़ी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।

15. भाखराराम पुत्र तुलछाराम जाति विश्नोई निवासी नेड़ीनाड़ी पटवार क्षेत्र [illegible] तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

05/01/24

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 23/10/19

अधिवक्तागण:–

01. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी
02. श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थी
03. श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थी
04. श्री हापूराम विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थी
05. श्री रामनिवास विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थी
06. श्री सुनिल गेराजा अधिवक्ता विप्रार्थी

दिनांक:– 05/01/24

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी बीरबलराम आपके उपखण्ड क्षेत्र के अधीन खातेदार व काश्तकार हूँ मुझ प्रार्थी की खातेदारी खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, आने–जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी को जोत तक पहुँचने के लिए नये रास्ते हेतु अनुमति चाहता हूँ। उक्त अनुमति प्रार्थी कों under sub-section (1) of section 251-A of the *Rajasthan Tenancy Act, 1955.* के तहत सुविधा प्रदान की जावें। (i) यह हैं कि प्रार्थी जोत का विवरण निम्नानुसार है:–(अ) ग्राम– लुम्बाणियों की ढाणी पटवार मण्डल नेड़ीनाड़ी तहसील धोरीमना उपखण्ड क्षेत्र धोरीमना। (ब) खसरा न. 240 रकबा 14.08 बीघा किस्म बा. सो.यह हैं कि प्रार्थी अपनी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 240 तक पहुँचने के लिए निम्न खातेदारों व खसरान् की जोत में से नया रास्ता करने हेतु आवेदन किया है।

(i) नाम खातेदार :–

क्रं.स. नाम मय वल्दियत उम्र जाति निवासी

1. सदराम पुत्र जगराम
2. राजूराम पुत्र लाधूराम
3. रामरख पुत्र लाधूराम
4. सुरताराम पुत्र भगाराम
5. साजनराम पुत्र भगाराम
6. प्रभूलाल पुत्र रामचन्द
7. गंगादेवी पत्नी मोहनलाल जाति विश्नोई निवासी लुम्बाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र नेड़ीनाड़ी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
8. अशोककुमार पुत्र केशरीमल जाति विश्नोई निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान।
9. मां वांकल मालाणी शिक्षण संस्थान धोरीमन्ना जरिये

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

5/01/24
उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सचिव व अध्यक्ष
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना।

(ii) ग्राम– लुम्बाणियों की ढाणी पटवार मण्डल नेडीनाडी तहसील धोरीमना उपखण्ड क्षेत्र धोरीमना जिला बाडमेर। (iii) कि प्रार्थी का खसरा नम्बर 240 में पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 243/1, 242, 241/1, 244 इसरो आगे सडक मार्ग है। खसरा नम्बर 243/1, 241/1 की भूमि खसरा नम्बर 243 व 241 के खातेदारों द्वारा रास्ते हेतु समर्पण कर दी गयी केवल खसरा नम्बर 242, 244 में से ही एक मात्र रास्ता रहा जो कट्टाण नही होने से आने जाने की समस्या आ रही है इस हेतु नया रास्ता स्थापित करने हेतु खसरा नम्बर 242, 244 में से रास्ता प्रस्तावित है, इसके अलावा खसरा नम्बर 243/1, 241/1 में रास्ता चल रहा है इसलिए खसरा नम्बर 243/1, 241/1 प्रस्तावित है। (iv कि विप्रार्थी संख्या 01 से 09 तक की खातेदारी का खेत ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 242 क्षैत्रफल 13.0228 हेक्टेयर, किस्म बारानी सोयम, या विप्रार्थी संख्या 01 से 08 तक की खातेदारी का खेत ग्राम लूम्बाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 244 क्षैत्रफल 4.9938 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम, विप्रार्थी संख्या 13 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना (खाता संख्या 01 की भूमि) खसरा नम्बर 241/1 क्षैत्रफल 0.2671 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 243/1 क्षैत्रफल 0.0809 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से नया रास्ता (30 फिट) प्रस्तावित है। परशिष्ट "ए" में लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीक उपयुक्त रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही उपयुक्त व सुविधाजनक है। माननीय न्यायालय द्वारा जो भी रकम प्रतिकर के रूप में नियमानुसार देय का आदेश देने पर जरिये चैक जमा करने के लिए प्रार्थी तैयार हैं। भूमि बैंक में रहन होने से बैंक को आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। विप्रार्थी संख्या 14 व 15 ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी आवेदन पेश करने से पक्षकार बनाया है। भूमिपति तहसीलदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त आराजी मौजा लुम्बाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र नेड़ीनाड़ी तहसील धोरीमना में स्थित होने से यह आवेदन माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है। आवेदन अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी (संशोधित) अधिनियम 2010 के तहत होने से निर्धारित न्यायशुल्क के रूप में 2/– रूपये के मुद्रांक साथ पेश है। अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी खातेदारी के खेत ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी खसरा नम्बर 240 तक आने–जाने के लिए नया रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 01 से 09 तक / विप्रार्थी संख्या 01 से 08, विप्रार्थी संख्या 13 की खातेदारी खेत ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 242 क्षैत्रफल 13.0228 हेक्टेयर, किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 244 क्षैत्रफल 4.9938 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 241/1 क्षैत्रफल 0.2671 हेक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

/01/24
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाडमेर)

Scanned with OKEN Scanner

किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 243/1 क्षैत्रफल 0.0809 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से नया गैर मुमकिन रास्ता (30 फिट) स्वीकृत करने का कष्ट करावें। जो नक्शा ट्रैस में परिशिष्ट "ए" के अनुसार दर्शाया गया है। जिसको नक्शा ट्रैस में लाल रंग से दर्शाया गया है। का रास्ता पाने का आवेदन पेश किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक ए.डी. से नोटिस भिजवाए गए।

दिनांक 19.11.2019 को विप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई ने अडरटेंकिग ली गई।

दिनांक 19.11.2019 को तहसीलदार धोरीमना से तहसील कार्यालय क्रमांक /भू०अ०/2019/3112 दिनांक 18.11.2019 को मौका तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली दिनांक 05.12.2019 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान में निगरानी होने से पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल को भिजवाई गई।

दिनांक 25.08.2020 को पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान से पुन – रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई पुन उसी नम्बर पर दर्ज की कई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पत्रावली प्रतिप्रेषित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में स्वयं अथवा तहसीलदार स्वयं से मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्राप्त हुई। तहसीलदार धोरीमना को दिनांक 11.09.2020 को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया एवं सभी पक्षकारान् को न्यायालय हाजा द्वारा मौके पर उपस्थित रहने का नोटिस दिये गये। तहसीलदार धोरीमना स्वयं द्वारा दिनांक 11.09.2020 को मौके पर जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की गई जिसे तहसील कार्यालय के क्रमांक – भू० अ०/ 2020/1008 दिनांक 14.09.2020 को न्यायालय में भिजवाई गई जिसे दिनांक 15.09.2020 को सामिल मिसल किया गया।

दिनांक 22.10.2020 को विप्रार्थी संख्या 02 की तरफ से श्री हापूराम गोदारा व विप्रार्थी संख्या 06 की ओर से श्री जगदीश विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया।

दिनांक 29.06.2021 को विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जबाब पेश किया साथ ही प्रार्थना पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने का पेश किया। शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यावाही अमल में लाई गइ।

दिनांक 15.02.2022 को अप्रार्थी संया 06 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 01 सीपीसी वास्ते जवाब दावा अवसर देने का पेश किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र नो ऑबजेक्शन कर स्वीकार किया।

दिनांक 22.02.2022 को विप्रार्थी संख्या ... की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा पेश किया गया। दिनांक 15.02.2022 को अप्रार्थी संया 06 की

5/01/24

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 01 सीपीसी वास्ते जवाब दावा अवसर देने का स्वीकार गया । साथ ही अधि0 अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट पर आपत्ति एवं दुबारा मंगवाने का स्वीकार किया गया हाजा न्यायालय द्वारा उभयक्षकारान् अधिवक्तागण अपने-अपने पक्षकारों को दिनांक 28.02.2022 वार – सोमवार को मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंध करे। नायब तहसीलदार धोरीमना से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई।

दिनांक 08.03.2022 को श्री अधिवक्ता ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा प्रार्थी तुलछाराम की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी वास्ते पक्षकार बनाने का पेश किया गया जो सामिल पत्रावली किया गया। तथा जबाब विप्रार्थी संख्या 7 प्रभुराम पुत्र रायचन्दराम जाति विश्नोई निवासी लुम्भाणियों की ढाणी हाल नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर की ओर से यह है :-विशेष प्रारम्भीक आपतिः- प्रार्थी द्वारा पेश राजस्व आवेदन में राजस्व मण्डल द्वारा निष्पक्ष अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया था परंतु तहसील कार्यालय द्वारा पूर्व में बनायी मौका रिपोर्ट वाले अधिकारी व कर्मचारी ने मौका रिपोर्ट बनायी जो उक्त राजस्व आवेदन शेष समर्पित रास्ते के आधार पर होने से शेष समर्पित रास्ता भारी विवाद व जटिलताओं से ग्रसित होने से तथा स्थगन होने से आवेदन में बनायी मौका रिपोर्ट दिनांक 11.09.2020 प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होने से निरस्त कर किसी अन्य तहसीलदार से मंगाये जाने की विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मांग की गई जिस पर न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट का आदेश दिया गया परन्तु उक्त आदेश सभी पक्षकारो को सूचना नहीं होने से तथा विप्रार्थी संख्या 1 बिमार होने से अधीनस्त नायबतहसीलदार द्वारा फिर से मनमानी ढंग से मौका रिपोर्ट बनायी गयी जिसकी आपति व जवाब अधिकार को सुरक्षित रखा जाना न्यायोचित हैं। सड़क से मांग किये गये रास्ते तक समर्पित रास्ता में श्रीमान जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा स्थगन होने से पत्रावली को उसके निस्तारण तक मौका रिपोर्ट, राजस्व आवेदन को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ता की लम्बाई चौड़ाई स्पष्ट नहीं होने से तथा स्पष्ट अनुतोष के अभाव में तथा उक्त रास्ता खसरा संख्या 242,243, 244 245 में से उक्त भूमि किस खसरे में आती हैं इस के सम्बंध में विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रकरण संख्या 106/19 में स्थगन चल रहा है साथ ही उक्त दोनो खसरो की खसरा संख्या 242 व 244 का सीमाज्ञान का आदेश भी हो रखा है जिस के सीमाज्ञान होने से पूर्व विवादित मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी नतीजे पर पहुँचना न्यायोचित नही है साथ ही प्रार्थी द्वारा पेश आवेदन में खसरा संख्या 244 के बारे में इन्द्राज नहीं होने से प्रथम दृष्टया आवेदन चलने योग्य नही है इस प्रकार प्रारम्भिक आपति व जवाब पर सुनवाई किये जाने पश्चात माननीय राजस्व मंडल के प्रकरण संख्या 7150/... में पारित आदेश के मध्यनजर मौका रिपोर्ट के आवेदन पर विधिवत सुनवाई से पूर्व प्रार्थीगण को बिना सुने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना भी अवैधानिक होने से पहले मौका रिपोर्ट आवेदन पर सुना जाये तथा तत्पश्चात मौका रिपोर्ट मंगवायी जानी थी परंतु प्रार्थी ने आनन–फानन में राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर हर बार मौका रिपोर्ट को एकतरफा बनाया गया इसीलिए मौका रिपोर्ट आने के बाद अंतिम जवाब का अवसर को सुरक्षित रखते हुए प्रथम जवाब पेश है। दिनांक 11.09.2020 को बनायी गयी मौका रिपोर्ट के नोटिस फर्जी तामील करवाये गये तथा मौका रिपोर्ट के साथ सलंग्न फॉटो ग्राफ मे विवादित तहसीलदार पटवारी व पूर्व सरपंच व आर आई किसनाराम के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है मौके पर बनी ओरड़ी को खसरा संख्या 243 में बताया है जबकि ओरडी प्रार्थी का आवास है इसीलिए चारो खसरों के सीमाज्ञान से पूर्व मौका रिपोर्ट औचित्यहीन है तथा मौका रिपोर्ट के ऊपर मोहन लाल व किसनाराम के हस्ताक्षर फर्जी है जो फोटो ग्राफ में कही नजर नही आ रहे है तथा तहसीलदार भागीरथराम ने पूर्व में मौका रिपोर्ट बनाने के लिए भारी अनुचित राशि ली थी साथ ही इस भूमि के पास गपाराम के नाम की भूमि बिना रास्ते वाणिज्यिक में परिवर्तित की जिसकी जांच ए सी बी में विचाराधीन है इसीलिए अपने बचाव हेतु तहसीलदार गलत तरीके से दोनों पक्षो को बिना सुने तथा बिना माननीय राजस्व मंण्डल के निर्देशो की पालना किये आनन फानन में मौका रिपोर्ट तैयार की थी जिसको माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया परन्तु तहसीलदार भागीरथराम अभी तक इसी पद पर आसीन होने से श्रीमानजी के निष्पक्ष मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश को भी अनसुना कर अपने अधीनस्त को दबाकर एकतरफा मौका रिपोर्ट बनायी गयी जिसमें विप्रार्थी के उजर ऐतराज पर क्या टिप्पणी की है वो मौका रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा उसके बाद विधिवत जवाब दिया जाना सम्भव है। राजस्व आवेदन के पैरा संख्या 1 से 6 गलत विधि विरुद्ध व तीन न्यायालयों के स्थगन व राजस्व मण्डल के निर्देशो की पालना किये बिना राजनैतिक दुर्भावना से दुभिसंदि के तहत पेश राजस्व आवेदन मय खर्चा खारिज किया जायें तथा सभी पैरे गलत है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त राजस्व आवेदन का मूल जवाब अंतिम मौका रिपोर्ट नही आने से पेश करने हेतु अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अंतरिम जवाब पेश कर निवेदन है कि विधि के विरुद्ध राजनैतिक दुर्भावना से पेश आवेदन मय खर्चा खारिज किया जावें का पेश किया जो सामिल मिसल किया गया। तथा विप्रार्थी संख्या 01 की ओर जबाब पेश किया विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से यह है :–जबाब विगतवार पैरा संख्या 1 दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित करे। पैरा संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है कि प्रार्थी के जोत में जाने के लिए किसी भी प्रकार का रास्ता स्थित नही है र्थी ने खसरा संख्या 243 में खातेदारो द्वारा रास्ता समर्पण करवाया वो है क्योंकि खसरा संख्या 243 में जो रास्ता समर्पण बताया है वो धोखाधडी से कार्यवाही होने से शून्य है तथा उक्त समर्पण के विरुद्ध पेश अपील संख्या 33/19

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

श्रीमान अपीलांट अर्थोरिटी द्वारा प्रकरण तुलसा बनाम सरकार में खसरा संख्या 243 की समर्पित भूमि रकबा 0–10 बीघा है मौका व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश हो रखा है इसीलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संशोधन में रास्ता लगातार होना आवश्यक है इसीलिए खसरा संख्या 243 की अपील व स्थगन का निर्णय नही होने तक उक्त पत्रावली में किसी प्रकार का परिवर्तन या आदेश दिया जाना न्यायोचित नही है इसीलिए मूल आवेदन के जवाब के अवसर को सुरक्षित रखते हुए प्रथम दृष्टया आवेदन को स्थगित किया जाना आवश्यक है। पैरा संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है क्योकि शेष रास्ता पर हायर अपीलांट अर्थोरिटी का स्थगन होने से पूर्व समर्पित रास्ते के आधार पर पेश आवेदन करने योग्य नही है। पैरा संख्या 4. गलत होने से अस्वीकार है। पैरा संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है तथा बैंक की जवाब के बिना प्रकरण को निस्तारण नही किया जा सकता है। पैरा सख्या 6 का जवाब यह है कि हस्तगत प्रकरण में पूर्व समर्पित रास्ते के आधार पर प्रकरण पेश होने से तहसीलदार का विगत वार विधिवत जवाब आवश्यक है। पैरा संख्या 7 व 8 कानुनी है साथ ही अपूर्ण न्याय शुल्क के अभाव में आवेदन करने योग्य नही है। विशेष प्रारम्भिक आपतिः—उक्त राजस्व आवेदन शेष समर्पित रास्ते के आधार पर होने से शेष समर्पित रास्ता भारी विवाद व जटिलताओं से ग्रस्ति होने से तथा स्थगन होने से आवेदन चलने योग्य नही है। सड़क से मांग किये गये रास्ते तक समर्पित रास्ता में सलंग्न स्थगन होने से पत्रावली को उसके निस्तारण तक स्थगित किया जाना न्यायोचित है। माननीय राजस्व मंडल के निर्णय अनुसार दोनो पक्षो की परिस्थिति में मौका रिपोर्ट आने के बाद मौका रिपोर्ट के सम्बंध में दोनो पक्षो का जवाब कर उस पर विधिवत सुनवाई आवश्यक है इसीलिए उस अधिकार को सुरक्षित रखते प्रारम्भिक आपति व जवाब पर सुनवाई हेतु जवाब पेश है। प्रार्थी द्वारा मांगे गये ता की लम्बाई चौड़ाई स्पष्ट नही होने से तथा स्पष्ट अनुतोष के अभाव में तथा उक्त ना खसरा संख्या 242, 243, 244, 245 में से उक्त भूमि किस खसरे में आती है इस सम्बंध में विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रकरण संख्या 106/19 में स्थगन चल रहा है साथ उक्त दोनो संख्या खसरो की खसरा संख्या 242 व 244 का सीमाज्ञान का आदेश भी खा है जिस के सीमा ज्ञान होने से पूर्व मौका रिपोर्ट बनाया जाना न्यायोचित नही है ही प्रार्थी द्वारा पेश आवेदन में खसरा संख्या 244 के बारे में इस्तदुआ नही होने से दृष्टया आवेदन चलने योग्य नही है इस प्रकार प्रारम्भिक आपति व जवाब राजस्व नवाई किये जाने के पश्चात माननीय राजस्व मंडल के प्रकरण संख्या 7150/2019 रेत आदेश की मध्य नजर मौका रिपोर्ट के आवेदन पर सुनवाई से पूर्व गण को बिना सुने मौका रिपोर्ट मंगवाई ... आवेदन पर सुना जावे तथा तत्पश्चात ... थी परंतु प्रार्थी न फानन में राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर मौका रिपो... का आदेश कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जो शुन्य है इसीलिए प्रारम्भिक आपति का निस्तारण किया जाना आवश्यक है।अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रारम्भिक आपत्ति के साथ पेश विभिन्न अदालतो के आदेशों का अवलोकन कर प्रारम्भिक आपति निस्तारित कर मौका रिपोर्ट का आदेश माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार तभी मंगवायी जावे जब पीछे स्थित रास्ता होने पर ही आगे की सुनवाई की जावे को सामिल मिसल किया गया।

दिनांक 29.03.2022 को प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर No Objection प्लीड कर स्वीकार किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। तथा साथ ही अप्रार्थी संख्या 07 की ओर से जबाब प्राप्त हुआ सामिल पत्रावली किया गया। तथा तहसीलदार धोरीमना से तहसील कार्यालय के आदेश क्रमांक :– भू0अ0/2022/214 दिनांक 28.02.2022 से तृतीय मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे सामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 07.04.2022 को प्रार्थी वकील द्वारा संशोधित शीर्षक व आवेदन पत्र पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया। नए पक्षकारान् संख्या 14 व 15 जोड़ा गया का जबाब का अवसर दिया गया।

दिनांक 28.07.2022 को प्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थी संख्या 14 फौत की सूचना पेश की गई। दिनांक 18.08.2022 को प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी वास्ते मृतक विप्रार्थी संख्या 14 की सूचना व कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने का पेश किया। दिनांक 27.12.2022 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 को स्वीकार कर प्रार्थी संख्या 14 तुलछाराम के यदि पुत्रियां हो तो उन्हे पक्षकार बनाये जाने का आदेश किया गया। दिनांक 07.02.2023 को प्रार्थी वकील द्वारा तुलछाराम के वारिश को 14 से /4 पुत्र एवं 14/6 से 14/9 पुत्रियों 14/5/1 से 14/5/3 तक पौत्र को संशोधित शीर्षक में पक्षकार बनाया गया। पक्षकारों की तलबी हेतु वकील प्रार्थी नोटिस रजिस्ट्रेड डाक द्वारा पेश करने हेतु लिखा गया । साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा सिविल प्रक्रिया संहिता वास्ते रास्ते के प्रकारण में अंतिम निर्णय पारित करने का पेश किया कि माननीय न्यायालय में राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010 वास्ते अपने खातेदारी खेत तक आने जाने हेतु मुमकिन रास्ता घोषित करने बअनवान बीरबलराम बनाम सदराम व अन्य का आवेदन विचाराधीन है। जिसकी तारीख पेशी आज है। प्रार्थी की खातेदारी के खेत ग्राम ...णियों की ढाणी खसरा नम्बर 240 तक आने–जाने के लिए नया रास्ते हेतु विप्रार्थी ... 01 से 09 तक की खातेदारी का खेत ग्राम लुम्बाणियों ... के खसरा नम्बर ... क्षेत्रफल 13.0228 हेक्टेयर, किस्म बारानी ... (30 ...) स्वीकृत करने का आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश क्रमांक /कोर्ट/2016 741 दिनांक 23.10.2019 का मौका व तथ्यात्मक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

5/01/24
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट श्रीमान् तहसीलदार धोरीमना के मार्फत मंगवाई गई थी। न्यायालय आदेशानुसार तहसीलदार धोरीमना साहब द्वारा दिनांक 16.11.2019 को मौका देखा गया था लेकिन विप्रार्थीगण द्वारा मौखिक निवेदन पर तहसीलदार ने दिनांक 17.11.2019 को मौका दुबारा देखा गया था। मौके की हालात व प्रस्तावित रास्ते का अवलोकन कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई हैं जिसमें प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 242 में ही एक मात्र व अनंतिम विकल्प बताया गया था। प्रार्थी को रास्ता नहीं देने के उद्देश्य ने विप्रार्थी सदराम व अन्य ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी /टी0ए0/ 7150/2019 बाड़मेर पेश की थी। उपरोक्त निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर माननीय न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया था। न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी टी एव /7150/2019 बाड़मेर अनवान सदराम बनाम बीरबल व अन्य निर्णय दिनांक 05.03.2020 व न्यायालय हाजा के राजस्व आवेदन संख्या 114/19 अनवान बीरबलराम बनाम सदराम में आदेश क्रमांक / राजस्व /2020/754 दिनांक 25.08. 2020 की पालना में श्रीमान् तहसीलदार साहब धोरीमना द्वारा दिनांक 11.09.2020 मौका देखा गया था, मौके की हालात व प्रस्तावित रास्ते का अवलोकन कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई हैं जिसमें प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 242 में ही एक मात्र व अनंतिम विकल्प बताया गया था। प्रकरण रास्ते से संबंन्धित होने से अति आवश्यक प्रकृति का है अतः से अधिकतम 90 दिन में निस्तारण करना होता हैं लेकिन पत्रावली 2019 से विचाराधीन पत्रावली 4 वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन हैं। प्रस्तावित रास्ते में रोड़ा अटकाने लिए विप्रार्थीगण द्वारा पड़ौसियों से रास्ते के आवेदन को विफल करने के लिए दन पेश कर रहे हैं तथा प्रकरण को लम्बा करने के लिए आमादा है। प्रार्थी को ान में रास्ते की अति आवश्यकता है। रास्ते के अभाव में घर तक आने की समस्या है। प्रार्थी अपनी मूल-भूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रास्ता अति आवश्यक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्याय -हित में स्वीकार किया जाना उचित, न्याय संगत, व यक है। अतः श्रीमान्जी से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 ल प्रक्रिया सहिंता वास्ते रास्ते के प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित करने का आदेश फरमाया जावें। **जो सामिल पत्रावली किया।**

दिनांक 04.04.2023 को विप्रार्थी संख्या 05 व 12 की ओर से वकालतनामा पेश। साथ ही प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 7 सीपीसी वास्ते एक तरफा ाही मन्सुख कर सुनवाई कर अवसर ... ने कोई त नही हैं प्लीड किया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

दिनांक 18.07.2023 को अप्रार्थी संख्या 06 व उनके अधि... द्वारा एक प्रार्थना ...का रिपोर्ट पर आपत्ति एंव मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने का ... किया। प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

5/01/24
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

को स्वीकार कर तहसीलदार धोरीमना को दिनांक 31.07.2023 को मौके पर जाकर पुनः रिपोर्ट मंगवाने को लिखा गया।

दिनांक 08.08.2023 को तहसीलदार धोरीमना से तहसील कार्यालय के आदेश क्रमांक :– भू0अ0/2023/1332 दिनांक 02.08.2023 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे सामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 05.09.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय कार्यवाही स्थगित करने का पेश कर निवेदन किया की पत्रावली राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दो निगरानी विचाराधीन हैं इसलिए पत्रावली पर सुनवाई स्थगित करें तब प्रार्थी वकील ने निवेदन किया कि पत्रावली राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दर्ज के स्तर पर पेडिंग हैं जब तक दर्ज नहीं होती हैं तब तक सुनवाई स्थगित नही की जा सकती हैं अप्रार्थी वकील को राजस्व मण्डल के स्थगन का आदेश या पत्रावली तलब की तहरीर पेश करने को कहा गया। इसके साथ एक प्रार्थना पत्र रामेश्वरी पुत्री श्रीराम जाति वेश्नोई निवासी नेड़ीनाड़ी ने आदेश 01 नियत 10 सीपीसी वास्ते पक्षकार बनाने का पेश किया जो सामिल मिसल किया गया।

दिनांक 05.09.2023 विप्रार्थी संख्या 08 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 पीसी वास्ते आपसी राजीनामा मय वकील रामनिवास विश्नोई द्वारा पेश किया कि ार्थी 08. अशोककुमार पुत्र केसरीमल उम्र 55 वर्ष जाति विश्नोई निवासी धोरीमना सील धोरीमना जिला बाड़मेर की ओर से निम्न प्रकार है कि:– कि श्रीमान् के ालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 114/2019 अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान तकारी अधिनियम वास्ते पाने का रास्ते अनवान बीरबलराम बनाम सदराम व अन्य का सकी तारीख पेशी आज है। जिसमें मैं विप्रार्थी संख्या 08 हूँ। प्रार्थी बीरबलराम पुत्र ाम जाति विश्नोई निवासी लुम्बाणियों की ढाणी नेड़ीनाड़ी ने अपने खेत तक आने– हेतु ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी पटवार मण्डल नेड़ीनाड़ी तहसील धोरीमना जिला र के खेत खसरा संख्या 240 तक आने के लिए हम विप्रार्थी संख्या 01 से 09 तक त खसरा संख्या 242 244 में से 30 फिट चौड़ा रास्ते की मांग की गई है जो र व विधि अनुरूप है। खसरा संख्या 242, 244 दोनों में से किसी भी खसरों में से स्वीकृत किया जाएं तो सही है। ग्राम लूम्बाणियों की ढाणी के खेत खसरा संख्या त्रफल 13.0228 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम में मुझ अशोककुमार का 28/1609 यानि रकबा 1–08 बीघा बंट, खसरा संख्या 244 क्षैत्रफल 4.9938 हेक्टेयर किस्म सोयम में मुझ अशोककुमार का 52/657 हिस्सा या[illegible]–05 बीघा भूमि ती है। मैं विप्रार्थी संख्या 08 अशोक[illegible] निवासी ा जिला बाड़मेर बड़ा सह खातेदार हूँ इसलिए मैं विप्रार्थी संख्या 08 अशोककुमार हिस्से में से बीरबलराम को रास्ता देने के लिए तैयार हूँ मैं मेरी स्वेच्छा से रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32.51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

देने में राजी हूँ किसी प्रकार का प्रतिफल लेना नहीं चाहता हूँ और खसरा संख्या 242 अथवा 244 में से रास्ते की ऐवज में जो एक बिस्वा जमीन चाही गई हैं उस एक बिस्वा भूमि को मेरे हिस्से में से कम कर दिया जाता हैं तो मेरे को कोई एतराज नहीं है। मेरे व मेरे परिवार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। मौके पर प्रस्तावित भूमि का कब्जा मुझ अशोककुमार का है प्रस्तावित भूमि मुझ अशोककुमार के बंट में आती है। राजीनामा अनुसार वादग्रस्त आराजी में रास्ता बीरबलराम को दिया जाएं तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रार्थना के जांच में प्रस्तुत किसी भी मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता बीरबलराम को दिया जाएं तो कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा प्रार्थना न्यायहित में स्वीकार योग्य है। राजीनामा के साथ प्रार्थी के आवेदन एकबाली जबाब बिन्दुवार निम्न अनुसार है :– आवेदन पत्र के पैरा संख्या 01 सही होने स्वीकार है। आवेदन पत्र के पैरा संख्या 02 सही होने से स्वीकार है। आवेदन पत्र के पैरा संख्या 03 सही होने से स्वीकार है का जबाब यह हैं कि प्रार्थी बीरबलराम को अपने खेत तक आने जाने के लिए खसरा संख्या 242, 244 में से रास्ता दिया जाना उचित व न्यायहित है। आवेदन पत्र के पैरा संख्या 04 का जबाब यह है कि मैं रूपये लेना नहीं चाहता हूँ बिना पैसे रास्ता देने के लिए तैयार हूँ। आवेदन पत्र के पैरा संख्या 05 कानूनी है। आवेदन पत्र के पैरा संख्या 06 कानूनी है। आवेदन पत्र के पैरा संख्या 07 कानुनी है। आवेदन पत्र के पैरा संख्या 08 कानूनी है। तथा मूल आवेदन के अतिम इस्तदुआ अनुसार मेरी खातेदारी खेत ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 242 क्षैत्रफल 13.0228 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम या खसरा संख्या 244 क्षैत्रफल 4.9938 हेक्टेयर किसम बारानी सोयम में से रकबा 0–01 बीघा अक्षरे एक बिस्वा भूमि प्रार्थी बीरबलराम को रास्ते के रूप बिना प्रतिफल देने के लिए तैयार है जो मेरे हिस्से / रकबे से कम की जाएं। अतः प्रार्थी संख्या 08 का निवेदन हैं विप्रार्थी संख्या 08 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते आपसी राजीनमा मूल आवेदन का जबाब स्वीकार किया जाएं। का पेश किया जो बाद तस्दीक कर सामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 26.09.2023को तीनों प्रार्थनों पत्रों पर विस्तारपूर्वक बहस सुनी गई। दिनांक 27.10.2023 को पुनः तीनों प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राकाअ वास्ते पाने रास्ते का पेश किया हैं जो एक संक्षिप्त विचारण का प्रार्थना पत्र हैं जिसको स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को न्याय दिया जाएं। विप्रार्थी केवल मात्र आवेदन को लम्बा करने के लिए से बार– बार आवेदन पेश [illegible] हैं कोई सारवान साक्ष्य पत्रावली पर नहीं पेश कर रहे हैं वादग्रस्त आराजी में आने जाने के रास्ते कोई अन्य विकल्प हो ऐसा कोई तथ्य व दस्तावेज नहीं है। रास्ता स्वीकार किया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

05/01/24

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना(बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी वकील ने निवेदन किया प्रार्थी रास्ता पाने का हकदार नहीं हैं राजनैतिक पहूँच वाला व्यक्ति हैं अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से रास्ता का आवेदन पेश किया हैं आवेदन खारीज योग्य हैं। पीठासीन अधिकारी पर दबाव डालकर रास्ता पाना चाहते हैं। नजदीक – नजदीक पेशी ली जा रही है। प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की अवहेलना की जा रही हैं। कर्मचारियों द्वारा चार मौका रिपोर्ट प्रार्थी के पक्ष में पेश कर दी हैं जो गलत व अविधि पूर्णक है। इसलिए मूल आवेदन को खारीज किया जाएं।

अप्रार्थी संख्या 08 के वकील ने बहस में निवेदन किया की रास्ता स्वीकृत किया जाएं तो कोई आपत्ति नहीं है। रास्ते के रूप में केवल मात्र एक बिस्वा भूमि उपयोग में आ रहीं हैं। रास्ता स्वीकृत किया जाना विधि संगत है।

अप्रार्थी वकील श्री जगदीश विश्नोई ने निवेदन किया की रामेश्वरी को पक्षकार नाया जाएं। प्रार्थी कहा कि रामेश्वरी रेकर्डेड खातेदार नहीं हैं आवेदन को विफल करने लम्बा करने के लिए पेश किया इसलिए खारीज योग्य हैं

अप्रार्थी वकील ने निवेदन किया की पत्रावली राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में त्राराधीन हैं इसलिए सुनवाई स्थगित रखे। प्रार्थी वकील ने कथन किया कि अप्रार्थी को प्ति समय दिया जा चुका हैं पत्रावली बोर्ड के समक्ष दर्ज स्टेज पर विचाराधीन है। भी नहीं हैं अप्रार्थी द्वारा सुनवाई रूकवाने का कोई स्थगन नहीं लाया गया हैं व न त्रावली बोर्ड के समक्ष तलब की तहरीर पेश की हैं।

प्रार्थी वकील ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थीगण आवेदन को विफल के लिए एक स्थगन आदेश माननीय न्यायालय से ही दिनांक 07.10.19 को प्रकरण 106/2019 बअनवान सदराम बनाम जगदीश व अन्य पेश कर प्राप्त किया हैं जो र्थी संख्या 01 से 09 तक को पाबन्ध किया हैं इस आवेदन पर निषप्रभावी घोषित जावें ताकि आवेदन के निर्णय की पालना राजस्व रेकर्ड में की जा सकें।

प्रार्थी वकील ने निवेदन किया प्रकरण में चार मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं रास्ते ाव हैं प्रार्थी के खसरे तक आने– जाने का एक मात्र प्रस्तावित रास्ता ही विकल्प तावित रास्ता खसरा 244 या 242 दोनों में से किसी एक में से रास्ता स्वीकृत जाएं।

हमने उभयपक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को विस्तारपूर्ण सुना, जों का अवलोकन किया, चार मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

हमने काश्तकारी अधिनियम में राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की करना उचित समझते है।

अधिनियम की धारा 251 –क के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए नियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

15/01/24

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

69. आवेदन पत्र की जांच और निपटारा – प्ररूप– झ में आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या निरीक्षक, भू–अभिलेख से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी से उसका निरीक्षण करायेगा और प्रभावित व्यक्तियों के आक्षेप आमन्त्रित करेगा। यदि उपखण्ड अधिकारी का, पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर देने और ऐसी और जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता हैं कि –

(i) आवश्यकता आत्यंतिक हैं और यह केवल अभि धृति के सुविधाजनक उपयोग के लिए नही हैं और

(ii) विशेष रूप से अन्य खातेदार की धृति में से नये रास्ते के मामले में पहुँच के वैकल्पिक मार्गो का अभाव हैं, तो वह आवेदन पत्र मंजूर कर सकेगा। आवेदन पत्र उसी प्राप्ति की तारीख के 90 दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

विवेचना पूर्वक अध्ययन से हम

01. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया सहिंता वास्ते रास्ते के प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित करने के प्रार्थना पत्र में चार मौका तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं, रास्ते का अभाव में पत्रावली में अप्रार्थी को जबाब का पूर्ण अवसर दिया जा चुका हैं, रास्ते का अभाव हैं पत्रावली करीबन चार वर्षो से विचारधीन हैं, इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया सहिंता वास्ते रास्ते के प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित करने का स्वीकार करना उचित व न्याय संगत समझते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं व मूल आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

02. प्रार्थना पत्र सुनवाई स्थगन में अप्रार्थी द्वारा कोई राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान से स्थगन आदेश पेश नहीं किया है न ही राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से पत्रावली तलब की तहरीर पेश की हैं इसलिए सुनवाई स्थगित का अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

03. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी वास्ते रामेश्वरी के पक्षकार बनाने में रामेश्वरी रेकर्डेड खातेदार नहीं हैं सम्भावित खातेदार रास्ता स्वीकृत होने वाले रकबे में किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रही हैं, रास्ते में हक प्रभावित नहीं हो रहा हैं इसलिए प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाने का अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

बहस विद्वान अधिवक्ता की उभयपक्ष की विस्तारपूर्वक सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात् नजरी नक्शा, जमाबंदी एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार धोरीमन्ना का गहनता से अध्ययन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है:-

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार है:-

251(क) "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्ता करना –

(1) जहां

(क)– कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)– कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(A)– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो इस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से [illegible] कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या [illegible] पर [illegible] अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर और

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

5/01/24

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाए तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा

(1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वाचित——— की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जाएगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाए, कोई भी अन्य अधिकार अर्जिज नहीं करेंगे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 251(क) में यह आज्ञापक विधिक आवश्यकता है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि उसकी आत्यंतिक आवश्यकता हो, साथ ही कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो।

तहसीलदार धोरीमना से प्राप्त मौका रिपोर्ट, मौका फर्द एवं प्रस्तावित रास्ते के नजरी नक्शे एवं जमाबंदी के अनुसार पटवार मण्डल नेड़ीनाड़ी ग्राम लूम्बाणियों की ढाणी खसरा संख्या 240 रकबा 14–08 बीघा किस्म बारानी सोयम की खातेदारी की आराजी है तथा विप्रार्थी संख्या 01 से 09 की खातेदारी खेत पटवार मण्डल नेड़ीनाड़ी ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 242 क्षैत्रफल 13.0228 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की आराजी है।

प्रार्थी की कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए एकमात्र न्यूनतम एवं निकटतम रास्ता है।

तहसीलदार धोरीमना की जांच प्रतिवेदन के अनुसार पटवार मण्डल नेड़ीनाड़ी ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 242 क्षैत्रफल 13.0228 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से 9 मीटर लम्बा एवं 9 मीटर चौड़ा (क्षेत्रफल 9x9=81 वर्गमीटर) रास्ता नक्शा ट्रेस में तहसीलदार धोरीमना की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.07.2023 में विकल्प संख्या "बी" बरंग केसरिया दर्शाए गए अनुसार कुल 81वर्ग मीटर रकबा का प्रस्तावित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

/01/24
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

हम तहसीलदार धोरीमना की रिपोर्ट से सहमत हैं तथा यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए रास्ते की मांग नहीं की जा रही है तथा प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम एवं निकटतम वैकल्पिक रास्ता है। तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट अनुसार ग्राम लुम्बाणिसयों की ढाणी के उक्त खसरा संख्या 242 की भूमि की वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर 311619/–रुपए प्रति हेक्टेयर है। खसरा सं. 242 में से रास्ता हेतु प्रस्तावित 81वर्ग मीटर भूमि की आनुपातिक वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर से 2525/– रुपए बनती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि सरहद मौजा लुम्बाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 242 में से 81वर्ग मीटर भूमि पर से तहसीलदार धोरीमना के प्रस्ताव अनुसार (नक्शा ट्रेस में हरे रंग के अनुसार) खातेदारान अप्रार्थीगण की अभिधृति निर्वापित करते हुए, खातेदारी भूमि में से कम करते हुए सार्वजनिक रास्ता सिवायचक स्वीकृत करते हुए नियम अनुसार प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाना स्वीकृत करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

–:: आदेश ::–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है।

01. तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.07.2023 में विकल्प संख्या "बी" बरंग केसरिया प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 242 में से 9 मीटर लम्बा तथा 9 मीटर चौड़ा क्षेत्रफल 81 वर्गमीटर अप्रार्थी संख्या 01 से 09 के खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवायचक स्वीकृत किया जाता है।
02. उपर्युक्त खसरा 242 की प्रचलित डी.एल.सी. दर 311619/–रुपए प्रति बीघा है तथा स्वीकृत रास्ता भूमि जिसके लिए प्रतिकर देय है अर्थात् 0.0081 हैक्टेयर अर्थात् 0–01 बीघा (एक बिस्वा) भूमि की आनुपातिक प्रचलित डीएलसी दर से 2525/– रुपए बनती है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रतिकर राशि प्रचलित वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी अर्थात् 5050/– रुपए (अक्षरे पांच हजार पचास रुपए मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थी से प्राप्त कर खसरा संख्या 242 के खातेदारान अप्रार्थी संख्या 01 से 09 को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि के अनुपात में भुगतान/वितरित करें।
03. खसरा संख्या 242 के खातेदार[illegible] द्वारा निर्धारित प्रतिकर की राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे त[illegible] रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्र[illegible] पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना जिला-बाड़मेर

05/01/24

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

04. तहसीलदार धोरीमना के कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2023/1332 दिनांक 02.08.2023 के अनुसार दिनांक 31.07.2023 को तैयार मौका रिपोर्ट पटवार नेड़ीनाड़ी ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 242 में से क्षैत्रफल 0.0081 हेक्टैयर विकल्प "बी" बरंग केसरिया अनुसार विप्रार्थी संख्या 01 से 09 के खातेदार में से कम कर राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद करें। मौका रिपोर्ट निर्णय की अभिन्न अंग व अंश रहेगी।

05. तहसीलदार धोरीमन्ना भू–अभिलेख में अमल–दरामद कर मौके पर रास्ते का सीमांकन/पत्थरगढ़ी कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे एवं मौके पर कोई अवरोध पाए जाने पर उन्हें हटाएं।

06. न्यायालय हाजा से कोई भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से कोई स्थगन आदेश जारी किया हुआ है तो हस्तगत आदेश पर लागू नही होगा एवं निषप्रभावी व प्रभावहीन रहेगा।

07. तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

08. पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

05/01/24

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला–बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक– 05/01/24 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

05/01/24

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner